smita ji
24/9/21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

–:: आदेश :–

संख्या–01/नि02–01/2012 1942 / राँची, दिनांक 24-09-2021 /

विभागीय अधिसूचना संख्या–48 दिनांक–25.03.2015 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा हेतु नियमावली अधिसूचित की गयी थी। इस अधिसूचना के कंडिका–2(xi) में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद का उल्लेख है। आवश्यक संशोधनोपरान्त तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–238 दिनांक–08.09.2015 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा हेतु नई नियमावली अधिसूचित है। इस अधिसूचना के कंडिका–2(xi) में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद का उल्लेख है।

2. उक्त के आलोक में झारखण्ड शिक्षा सेवा के अन्तर्गत **'क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक'** का पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए **'क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक'** किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. आदेश प्रारुप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

24/9/21

(संदीप कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 1942 राँची, दिनांक– 24-09-2021

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार, झारखण्ड/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी एवं झारखण्ड शिक्षा सेवा के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 1942 राँची, दिनांक– 24-09-2021

प्रतिलिपि : विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/21

सरकार के संयुक्त सचिव।